कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक सी-32 /अधि0रिट-14 / 2014-15 दिनांक जून 28-7 2015

1. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0 उ0प्र0
2. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।

विषय- मा0 उच्च न्यायालय मे लम्बित रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किये जाने के सम्बंध मे।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-121/अधि0रिट-14/दिनांक 26.3.2015 तथा सी-25/अधि0रिट-14/दिनांक 8.7.2015 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे मा0 उच्च न्यायालय मे अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बंधित लम्बित रिट याचिकाओं की गहन समीक्षा करते हुये समयान्तर्गत प्रतिशपथ लगाने एवं प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है ।

किन्तु संज्ञान मे आया है कि आपके स्तर से उक्त निर्देशों का गम्भीरता से परिपालन नही किया जा रहा है , जिसके कारण कतिपय वादों मे विभाग को अप्रिय स्थिति का सामना करना पढ़ रहा है । वर्तमान मे मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ मे योजित रिट याचिका सं0 1438/एसएस/2015 श्री रामदयाल यादव बनाम् स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य के वाद मे जिला सहकारी बैंक लि0 फैजाबाद तथा राज्य संवर्ग प्राधिकारी , उ0प्र0 सहकारी ऋण समिति (केन्द्रीयत सेवा) जो कि वाद मे मुख्य प्रतिवादी थे , के अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर पैरवी न करने के कारण दिनांक 30.7.2015 को अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है। आपके स्तर से प्रभावी पैरवी के अभाव मे अकारण मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अत्यन्त ही खेद का विषय है।

अतः सचेत किया जाता है कि भविष्य मे इसप्रकार की घटना की पुनरावृत्ति आपके स्तर से प्रभावी पैरवी के अभाव से उत्पन्न होती है तो आपका तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वय जिम्मेदार होंगे। साथ ही आप सभी को अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि इस याचिकाओं की पैरवी करने के सम्बंध मे जो निर्देश इस कार्यालय से निर्गत किये गये है , उनका परिपालन शतप्रतिशत् कराना सुनिश्चित करे।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक सी-32 /अधि0रिट-14 / 2014-15 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।